UPBL010027622026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0-1163/2026

हिमांशु यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव, साकिन-कुम्हैला, थाना-सुखपुरा, जनपद-बलिया।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी

मु०अ०सं०-313/2025
थाना-उभांव, जनपद-बलिया।
धारा-143(4) बी.एन.एस.

<u>दिनांक 18.06.2026</u>

1- यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रार्थी/अभियुक्त हिमांशु यादव की ओर से मुकदमा अपराध सं0-313/2025, अंतर्गत धारा-143(4) बी.एन.एस., थाना-उभांव, जनपद-बलिया में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से शपथकर्ता सुरेन्द्र यादव द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र मा0 उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत की गई है, न निरस्त हुई है और न ही लंबित है।

2- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

3- संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी असलम पुत्र मजबुल्लाह निवासी एकसान का रहने वाला है। वादी का लड़का मु० फुजैल अहमद जिसकी उम्र 3 वर्ष है, दिनांक 11.12.2025 को दोपहर लगभग 1 बजे से घर से कहीं गुम हो गया है, वादी काफी लोग खोजबीन किए परन्तु कहीं पता नहीं चला। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा निर्दोष है। पुलिस इलाका उभांव दुश्मनान व राजनैतिक प्रतिद्वन्दता के प्रभाव में होकर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह अथ्भयुक्त का गलत बयान दर्ज कर अभियुक्त बनाया गया है । उक्त घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5- राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6- पक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी का अवलोकन किया। प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों एवं इस स्तर पर केस डायरी में अंकित साक्षीगण के बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ एक राय होकर वादी मुकदमा के तीन वर्ष के लड़के फुजैल अहमद को अपहरण कर लिए जाने का अभियोजन कथानक है। सी०सी०टी०वी० फुटेज में उक्त बालक को सह अभियुक्त के पीछे-पीछे

Digitally signed by Pradham Kant
Date: 2026.06.19 13:59:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जाना दिखाया गया है जबकि पुलिस द्वारा गुमशुदा बालक की बरादमगी रेलवे स्टेशन, बेल्थरा रोड, जिला-बलिया से दिनांक 12.12.2025 को किया गया है। उक्त बालक की बरामदगी प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम सह अभियुक्त के बयान के आधार पर प्रकाश में आया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत कराई गई है । प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से जिला कारगार में निरुद्ध है। अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना संदर्भित नहीं किया गया है। सह अभियुक्त मो० जैद उर्फ सलमान का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है ।

7- अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को सशर्त जमानत पर अवमुक्त किए जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त हिमांशु यादव का उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। मा० उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **बच्ची देवी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य,** न्यूट्रल साइटेशन 2025 ए०एच०सी० 136034 में पारित आदेश दिनांकित 12.08.2025 के पैरा-46 में दिए गये निर्देश के अनुक्रम में प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त को संबंधित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अधीन 1,00,000/-रूपये (एक लाख रूपये) का स्वबन्धपत्र व उसी धनराशि के एक प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर छोड़ा जाए-

1. प्रार्थी/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना/न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा,
2. प्रार्थी/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा,
3. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,
4. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा,
5. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय की वॉछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

इस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी आज ही ई-मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 18.06.2026 प्रभारी सत्र न्यायाधीश

Steno-R.K.Yadav बलिया ।